**न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बनेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज.)**
**राजस्व लोक अदालत मुकाम राक्षी तहसील बनेड़ा**
**पीठासीन अधिकारी – श्री रतनलाल रेगर**
**(आर.ए.एस.)**

प्रकरण संख्या 54/2014

अनवान

1 सुल्तान खां पिता रहीमबक्ष पिनारा (मुसलमान) निवासी राक्षी तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा
2 श्रीमति कलसुम पत्नि स्व0 फौजु खां पिनारा (मुसलमान) निवासी राक्षी तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा
3 सुश्री खातुन पुत्री स्व0 फौजु खां पिनारा (मुसलमान) नाबाबवि जरिये माता श्रीमति कलसुम पत्नि स्व0 फौजु खां पिनारा (मुसलमान) निवासी राक्षी तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा
4 श्रीमति काली पुत्री स्व0 श्री फौजु खां पिनारा (मुसलमान) नाबाबवि जरिये माता श्रीमति कलसुम पत्नि स्व0 फौजु खां पिनारा (मुसलमान) निवासी राक्षी तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा
5 सुश्री मेना पुत्री स्व फौजु खां पिनारा (मुसलमान) नाबाबवि जरिये माता श्रीमति कलसुम पत्नि स्व0 फौजु खां पिनारा (मुसलमान) निवासी राक्षी तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा

........ वादी

बनाम

1 लादु खां पिता रहीमबक्ष पिनारा (मुसलमान) निवासी राक्षी तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा
2 हकीम खां पिता रहीमबक्ष पिनारा (मुसलमान) निवासी राक्षी तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा
3 खातुन पुत्री श्री रहीमबक्ष पिनारा (मुसलमान) निवासी राक्षी तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा
4 राज. राज्य जरिये तहसीलदार बनेड़ा जिला भील0

..... प्रतिवादी

# वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 92(क) व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :::– कृष्णकुमार जीनगर.............. अधिवक्ता वादीगण

## –:: निर्णय ::–

दिनांक 16.05.2017

1. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने एक वाद विरूद्ध प्रतिवादी के इस आशय का प्रस्तुत किया कि वाके ग्राम राक्षी तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा स्थित आराजीयात का नामान्तकरण जरिये विरासत वादी संख्या 02 से 05 के पिता एंव पति स्व0 फौजु खां व प्रतिवादी संख्या 01 से 03 के नाम खोला गया। रहीमबक्ष के नाम ग्राम राक्षी स्थित खतौनी संख्या 101 के आराजी संख्या 740/1, 743, 765/1, 778, कुल किता 04 कुल रकबा 01–12 बीघा भूमि वादीगण एंव प्रतिवादीगण संख्या 01 से 03 संयुक्त खातेदारी हक से दर्ज रेकार्ड होकर उपयोग उपभेग करते चले आ रहे है। उक्त आराजीयात में वादीगण सख्या 1 का 1/5 व वादीगण संख्या 2 से 5 का 1/5 एंव प्रतिवादी संख्या 1 का 1/5, प्रतिवादी संख्या2 का 1/5 व प्रतिवादी संख्या 3 का 1/5 हक हिस्सा निहित है। वादग्रस्त आराजीयात में रहीमबक्ष की मृत्युपरांन्त खुले नामान्तकरण में हनीफ खां पिता रहीमबक्ष का नाम दर्ज हो गया जबकि हनीफ खां नाम का कोई व्यक्ति रहीमबक्ष क वारिस नही है। हनीफ नाम बिना किसी विधिक अधिकार के राजस्व कर्मचारियों की गलती एंव लापरवाही की वजह से जमाबन्दी रोटेशन संवत 2058–2061 बनाया गया उसमें रहीमबक्ष के वारिस में हनीफ खां नाम भी जोड दिया जबकि हनीफ खां के नाम का कोई व्यक्ति रहीमबक्ष का पुत्र नही है। अतः खाता संख्या 101 में दर्ज आराजीयात में हनीफ खां पिता रहीमबक्ष का नाम गलत दर्ज अंकित है जिसे हटाया जाकर वादीगण एंव प्रतिवादीगण संख्या 01 से 03 को खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने के साथ वादीगण के कब्जे काश्त एंव उपयोग उपभोग में प्रतिवादी संख्या 01 से 03 किसी प्रकार का दखल न तो स्वयं करें न किसी अन्य से करावें तथा आराजीयात को किसी अन्य को रहन विक्रय बक्षीस नही करें इस कदर की स्थायी निषेधाज्ञा की डिकी सादर फरमाई जावें।

2. प्रकरण को दिनांक 18.11.2014 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगणो की तल्बी की गई। इसी दौरान वादपत्र को राजस्व लोक अदालत 2017 केम्प मुकाम राक्षी के लिए पंजीबद्ध किया गया तथा पक्षकारान को जरिये सूचना पत्र तलब किया गया। वादीगण अधिवक्ता तथा प्रतिवादी संख्या 04 राज्य पक्ष तहसीलदार बनेडा वक्त केम्प उपस्थित। शेष प्रतिवादीगण संख्या 01 लगायत 03 सूचना के बावजूद शिविर में अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश पारित किये गये। वादपत्र के अन्तिम निपटारे के लिए वादीगण अधिवक्ता एंव प्रतिवादी संख्या 04 राज्य पक्ष तहसीलदार बनेडा द्वारा उपस्थित होकर वादपत्र स्वीकार किये जाने बाबत अपनी सहमति व्यक्त की।

3. उक्त प्रकरण में पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य, एंव एवं वादपत्र का अध्ययन एवं मनन उपरान्त वादपत्र के समर्थन में प्रस्तुत शपथपत्र रेकार्ड, से यह प्रमाणित होता है कि वादीगण एंव प्रतिवादीगण के खातेदारी आराजीयात खतौनी संख्या 101 के आराजी संख्या 740/1, 743, 765/1, 778, कुल किता 04 कुल रकबा 01–12 बीघा राजस्व रेकार्ड में अंकित हनीफ खां पिता रहीमबक्ष पीनारा का नाम हटाया जाकर वादीगण एंव प्रतिवादीगण संख्या 01 से 03 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना न्यायोचित है। इसके अतिरिक्त विपक्षी संख्या 04 के ईकबालिया जवाब तथा समर्थन में प्रस्तुत मौका रिपोर्ट से इसकी पूष्टी होती है। अतः वादी का वाद पत्र लोक अदालत की भावना को मध्य नजर रखते हुए स्वीकार योग्य है।

## –::आदेश::–

वादी का वादपत्र प्रतिवादी की सहमति के आधार पर स्वीकार किया जाकर वाके ग्राम राक्षी स्थित खतौनी संख्या 101 के आराजी संख्या 740/1, 743, 765/1, 778, कुल किता 04 कुल रकबा 01–12 बीघा राजस्व रेकार्ड में अंकित हनीफ खां पिता रहीमबक्ष पीनारा का नाम विलोपित कर दुरस्त किये जाने की स्वीकृति प्रदत्त किये जाने के साथ वादीगण एंव प्रतिवादीगण संख्या 01 से 03 को खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने के आदेश पारित किये जाते है। तथा विपक्षीगण संख्या 01 लगायत 03 को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद कर इस आशय की अन्तिम डिक्री पारित की जाती है। अन्तिम डिक्री की प्रति तहसीलदार बनेड़ा को पालनार्थ भिजवाई जावे। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करें। उक्तानुसार डिक्री पर्चा तरतीब किया जावें।

निर्णय आज दिनांक 15.06.2017 को राजस्व लोक अदालत केम्प मुकाम राक्षी में खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रतनलाल रैगर)
उपखण्ड अधिकारी, बनेड़ा
जिला भीलवाड़ा

## न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बनेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज.)
### राष्ट्रीय लोक अदालत मुकाम राक्षी तहसील बनेड़ा
### : : मूल वाद मे अन्तिम डिक्री : :
**{आदेश 20 नियम 6, 7 जा0दी0}**

**पीठासीन अधिकारी – श्री रतन लाल रेगर**
**(आर.ए.एस.)**

**प्रकरण संख्या 54/2014**

अनवान

1 सुल्तान खां पिता रहीमबक्ष पिनारा (मुसलमान) निवासी राक्षी तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा
2 श्रीमति कलसुम पत्नि स्व0 फौजु खां पिनारा (मुसलमान) निवासी राक्षी तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा
3 सुश्री खातुन पुत्री स्व0 फौजु खां पिनारा (मुसलमान) नाबाबवि जरिये माता श्रीमति कलसुम पत्नि स्व0 फौजु खां पिनारा (मुसलमान) निवासी राक्षी तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा
4 श्रीमति काली पुत्री स्व0 श्री फौजु खां पिनारा (मुसलमान) नाबाबवि जरिये माता श्रीमति कलसुम पत्नि स्व0 फौजु खां पिनारा (मुसलमान) निवासी राक्षी तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा
5 सुश्री मेना पुत्री स्व फौजु खां पिनारा (मुसलमान) नाबाबवि जरिये माता श्रीमति कलसुम पत्नि स्व0 फौजु खां पिनारा (मुसलमान) निवासी राक्षी तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा

........ **वादी**

बनाम

1 लादु खां पिता रहीमबक्ष पिनारा (मुसलमान) निवासी राक्षी तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा
2 हकीम खां पिता रहीमबक्ष पिनारा (मुसलमान) निवासी राक्षी तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा
3 खातुन पुत्री श्री रहीमबक्ष पिनारा (मुसलमान) निवासी राक्षी तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा
4 राज. राज्य जरिये तहसीलदार बनेड़ा जिला भील0

..... **प्रतिवादी**

# वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 92(क) व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :::– कृष्णकुमार जीनगर.............. अधिवक्ता वादीगण

वादी का वादपत्र विरूद्ध प्रतिवादीगण अन्तर्गत धारा 88–89–92(क)–188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत स्वीकार किया जाकर वाके ग्राम राक्षी तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा स्थित खतौनी संख्या 101 के आराजी संख्या 740/1, 743, 765/1, 778, कुल किता 04 कुल रकबा 01–12 बीघा राजस्व रेकार्ड में अंकित हनीफ खां पिता रहीमबक्ष पीनारा का नाम विलोपित कर दुरस्त किये जाने की स्वीकृति प्रदत्त किये जाने के साथ वादीगण एंव प्रतिवादीगण संख्या 01 से 03 को खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने के आदेश पारित किये जाते है। साथ ही प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 03 को इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री से पाबन्द किया जाता है कि वे वादीगण के हक एवं स्वामित्व के भू भाग पर किसी भी प्रकार की नाजायज दखंलनदाजी न तो स्वयं करें न ही अन्य से करावें। तहसीलदार बनेड़ा तद्नुसार राजस्व अभिलेखों में अमल दरामद करें। खर्चा फरिकेन अपना–अपना वहन करे। डिक्री की प्रति तहसीलदार बनेड़ा को पालनार्थ भिजवाई जावे।

आज दिनांक 15.06.2017 को राजस्व लोक अदालत केम्प मुकाम राक्षी में मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी गयी।

(रतनलाल रेगर)
उपखण्ड अधिकारी, बनेड़ा
जिला भीलवाड़ा